निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 31)

[8 अगस्त, 2019]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय
अन्य अधिनियमितियों का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019 है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है।

व्यावृतियां।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर किसी ऐसी बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरूज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1850	12	लोक लेखापाल चूक अधिनियम, 1850
1881	11	नगरपालिका कराधान अधिनियम, 1881
1892	10	प्राइवेट संपदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892
1956	69	रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956
1958	56	हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958
1960	22	कपास परिवहन (कपास) अधिनियम, 1960
1963	1	हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) अधिनियम, 1963
1963	35	नाट्य प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1963
1964	10	लोक नियोजन (निवास के रूप में अपेक्षा) संशोधन अधिनियम, 1964
1968	49	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद कैंटोनमेंट निरसन) अधिनियम, 1968
1973	56	एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973
1976	55	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
1976	61	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
1976	62	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
1980	68	चाय (संशोधन) अधिनियम, 1980
1981	62	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981
1982	63	सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982
1983	41	ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1983
1988	22	तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटी (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1988
1999	3	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन अधिनियम, 1998
2001	39	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2001
2001	48	रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2001
2002	16	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002
2002	43	दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002
2007	3	डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 2006
2007	28	केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(1)	(2)	(3)
2009	21	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	22	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	38	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009
2010	3	नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009
2011	6	बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011
2011	14	सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011
2012	28	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2012	34	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2014	8	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014
2014	9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	19	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	20	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	31	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	32	वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	39	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014
2015	2	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	3	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	5	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	10	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	12	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	14	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	16	भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	21	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015
2016	10	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	13	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	25	खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	42	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	45	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	48	कराधान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
2017	19	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	21	सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	43	आय-कर अधिनियम, 1961	हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2017	33	भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017	(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 33)

[9 अगस्त, 2019]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन।

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) 1996 का 26 की धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गक) "माध्यस्थम् संस्था" से इस अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित कोई माध्यस्थम् संस्था अभिप्रेत है;';

(आ) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।';

(ii) उपधारा (2) के परंतुक में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास समय-समय पर ऐसी माध्यस्थम् संस्थाओं को पदाभिहित करने की शक्ति होगी, जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 43झ के अधीन परिषद् द्वारा श्रेणीकृत किया गया है:

परंतु ऐसी उच्च न्यायालय अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीकृत माध्यस्थम् संस्था उपलब्ध नहीं है, वहां संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, माध्यस्थम् संस्था के कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकेगा और मध्यस्थ के संबंध में किसी प्रतिनिर्देश को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक माध्यस्थम् संस्था समझा जाएगा और इस प्रकार किसी पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर फीस के लिए हकदार होगा:

परंतु यह और कि संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल का पुनर्विलोकन कर सकेगा।";

(ii) उपधारा (4) की दीर्घ पंक्ति में, "तो नियुक्ति" शब्दों से आरंभ होने तथा "द्वारा की जाएगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी।";

(iii) उपधारा (5) में, "तो नियुक्ति," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "द्वारा की जाएगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।";

(iv) उपधारा (6) की दीर्घ पंक्ति में, "वहां कोई पक्षकार," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "या संस्था से" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वहां नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी";

(v) उपधारा (6क) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(vi) उपधारा (8) में, "यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (4); उपधारा (5) और उपधारा (6) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् संस्था" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(vii) उपधारा (9) में, "उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था" शब्द रखे जाएंगे;

(viii) उपधारा (10) का लोप किया जाएगा;

(ix) उपधारा (11) से उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(11) जहां उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन भिन्न-भिन्न माध्यस्थम् संस्थाओं को एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहां ऐसी माध्यस्थम् संस्था, जिसे सुसंगत उपधारा के अधीन सबसे पहले अनुरोध किया गया है, नियुक्ति के लिए सक्षम होगी।

(12) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (8) में निर्दिष्ट कोई मामला किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् या किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होता है, वहां उन उपधाराओं में माध्यस्थम् संस्था के प्रति किसी निर्देश को उपधारा (3क) के अधीन पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।

(13) इस धारा के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किए गए किसी आवेदन को, माध्यस्थम् संस्था द्वारा, विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

(14) माध्यस्थम् संस्था, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिकरण की फीसों और उसे उसके संदाय की रीति का अवधारण करेगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपधारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और ऐसे माध्यस्थमों (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न), जहां पक्षकारों ने माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमति दी है, को लागू नहीं होगी।"।

धारा 17 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "या माध्यस्थम् पंचाट के किए जाने के पश्चात् किंतु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 23 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के अधीन दावे और प्रतिरक्षा का विवरण, उस तारीख से, जिसको यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों को, उनकी नियुक्ति का लिखित में नोटिस प्राप्त होता है, छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"।

धारा 29क का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न मामलों में, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पंचाट, धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परंतु अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में पंचाट को यथा संभव शीघ्रता से किया जाएगा और मामले को धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन लंबित है, वहां मध्यस्थ का अधिदेश उक्त आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा:

परंतु यह भी कि मध्यस्थ को, फीस में कमी किए जाने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।"।

धारा 34 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "यह सबूत देता है कि" शब्दों के स्थान पर "मध्यस्थ अधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध करता है कि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 37 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में, "निम्नलिखित आदेशों" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 42क और 42ख का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सूचना की गोपनीयता।

"42क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार से संबंधित मध्यस्थ, माध्यस्थम् संस्था और पक्षकार, सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों की गोपनीयता पंचाट के और उस समय के सिवाय जहां उनका प्रकटन पंचाट के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो बनाए रखेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

42ख. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी मध्यस्थ के विरुद्ध, नहीं होगी।"।

नए भाग का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम के भाग 1 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

भाग 1क

भारतीय माध्यस्थम् परिषद्

परिभाषाएं।

43क. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से धारा 43ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया गया भारतीय माध्यस्थम् परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से धारा 43ख के अधीन स्थापित भारतीय माध्यस्थम् परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है।

भारतीय माध्यस्थम् परिषद् की स्थापना और उसका निगमन।

43ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय माध्यस्थम् परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगी।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।

(4) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी।

परिषद् की संरचना।

43ग. (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात्:—

(क) कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या वह कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति है, जिसके पास माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाए—अध्यक्ष;

(ख) कोई विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायी, जिसके पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के संस्थागत माध्यस्थम् में सारवान् ज्ञान और अनुभव है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए—सदस्य;

(ग) कोई विख्यात शिक्षाविद्, जिसके पास माध्यस्थम् और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्यापन का अनुभव है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाए—सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर चुना गया किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग निकाय का एक प्रतिनिधि—अंशकालिक सदस्य; और

(छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य सचिव, पदेन।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य, उनके द्वारा पद ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे;

परंतु पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के लिए हक़दार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

परिषद् के कर्त्तव्य और कृत्य।

43घ. (1) परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह माध्यस्थम्, मध्यकता, सुलह या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और उसका प्रोत्साहन करने के लिए ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों और उस प्रयोजन के लिए नीति की विरचना तथा स्थापन, प्रचालन और माध्यस्थम् से संबंधित सभी विषयों के संबंध में एकसमान वृत्तिक मानक बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों की विरचना करे।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए परिषद्—

(क) माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण को शासित करने के लिए नीति की विरचना कर सकेगी;

(ख) मध्यस्थों को प्रत्यायन उपलब्ध कराने वाली वृत्तिक संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकेगी;

(ग) माध्यस्थम् संस्थाओं और मध्यस्थों के श्रेणीकरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी;

(घ) विधि फर्मों, विधि विश्वविद्यालयों और माध्यस्थम् संस्थाओं के सहयोग से माध्यस्थम् के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकेगी;

(ङ) माध्यस्थम् और सुलह के समाधानप्रद स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सन्नियमों की विरचना, उनका पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन कर सकेगी;

(च) भारत को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् और सुलह का एक उत्तम केन्द्र बनाने हेतु एक मंच का सृजन करने के लिए अपनाए जाने वाले अभिमतों और तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकेगी;

(छ) केन्द्रीय सरकार को, वाणिज्यिक विवादों के सुगम समाधान के लिए उपबंध करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के संबंध में सिफारिश कर सकेगी;

(ज) माध्यस्थम् संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन कर सकेगी;

(झ) माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन कर सकेगी और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रदान कर सकेगी;

(ञ) भारत में किए गए माध्यस्थम् पंचाटों के निक्षेपागार की स्थापना कर सकेगी और उसे बनाए रखेगी;

(ट) माध्यस्थम् संस्थाओं के कार्मिकों, प्रशिक्षण और अवसंरचना के संबंध में सिफारिशें कर सकेगी; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

43ङ. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

सदस्यों का त्यागपत्र।

43च. अध्यक्ष या पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित में अपने हस्ताक्षर सहित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जब तक उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अपना पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता है, ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक्त: नियुक्त व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है या अपनी पदावधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

सदस्य का हटाया जाना।

43छ. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि—

(क) वह कोई अननुन्मोचित दिवलिया है; या

(ख) वह अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय (अंशकालिक सदस्य को छोड़ कर) किसी सवेतन नियोजन में नियोजित हुआ है; या

(ग) वह किसी ऐसे अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर लिए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप

में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) सदस्य के रूप में उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है; या

(च) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सदस्य को उस उपधारा के खंड (च) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके इस निमित्त प्रतिनिर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो इस निमित्त विहित की जाए उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर यह रिपोर्ट न की गई हो कि सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन।

43ज. परिषद्, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी, जैसा कि वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण के लिए साधाराण सन्नियम।

43झ. परिषद् ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवसंरचना, मध्यस्थों की गुणवत्ता और सक्षमता, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए कार्यपालन और समय-सीमा के अनुपालन से संबंधित मानदंडों के आधार पर माध्यस्थम् संस्थाओं का श्रेणीकरण करेगी।

प्रत्यायन के लिए सन्नियम।

43ञ. मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हताएं, अनुभव और सन्नियम वे होंगे, जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आठवीं अनुसूची का संशोधन का सकेगी और तदुपरि आठवीं अनुसूची को तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा।

पंचाटों का निक्षेपागार।

43ट. परिषद् भारत में किए गए माध्यस्थम् पंचाटों और उनसे संबंधित अन्य अभिलेखों का, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक इलैक्ट्रानिक निक्षेपागार बनाए रखेगी।

परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति।

43ठ. परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन हेतु, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से सुसंगत विनियम बना सकेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

43ड. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो परिषद् के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) परिषद् का एक सचिवालय होगा, जो उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(5) परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।'।

धारा 45 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 45 में, ''उसका यह निष्कर्ष होता है कि'' शब्दों के स्थान पर ''उसका प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष होता है कि'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 50 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में, "ऐसे किसी आदेश" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी आदेश" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 87 का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 86 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाएगी और वह 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित की गई समझ जाएगी, अर्थात्:—

23 अक्तूबर, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् और संबद्ध न्यायालय कार्यवाहियों का प्रभाव।

"87. जब तक कि पक्षकार अन्यथा करार न करें, तब तक माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन,— 2016 का 3

(क) निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(i) माध्यस्थम् औरा सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों; 2016 का 3

(ii) इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कोई न्यायालय कार्यवाहियां माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई थी, ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों; 2016 का 3

(ख) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ पर या उसके पश्चात् आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को और ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उदभूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों को ही लागू होंगे।"। 2016 का 3

नई अनुसूची का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की सातवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"आठवीं अनुसूची

(धारा 43ञ देखिए)

मध्यस्थ की अर्हताएं और अनुभव

कोई व्यक्ति मध्यस्थ होने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा अधिवक्ता है, जिसके पास अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव है; या 1961 का 25

(ii) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1949 का 38

(iii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा लागत लेखापाल है, जिसके पास लागत लेखापाल के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1959 का 23

(iv) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा कंपनी सचिव है, जिसके पास कंपनी सचिव के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1980 का 56

(v) भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी रहा हो; या

(vi) विधि में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में विधिक मामलों में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो; या

(vii) इंजीनियरी में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में इंजीनियर के रूप में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो या वह दस वर्ष से स्व:नियोजित हो; या

(viii) केन्द्रीय या राज्य सरकार में प्रशासन का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाला कोई

अधिकारी रहा हो या जिसके पास पब्लिक सेक्टर उपक्रम, किसी सरकारी कंपनी या किसी विख्यात प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध का अनुभव हो; या

(ix) किसी अन्य दशा में ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास डिग्री स्तर की शैक्षणिक अर्हता हो और साथ ही, जिसके पास दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकारों या अन्य विशेषीकृत क्षेत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में, यथास्थिति, सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में दस वर्ष का अनुभव हो या वह प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत रखता हो।

मध्यस्थ को लागू साधारण सन्नियम

(i) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी निष्पक्षता, ईमानदारी में साधारण ख्याति हो और जो विवादों के निपटान में वस्तुनिष्ठता को अनुप्रयुक्त करने में समर्थ हो;

(ii) मध्यस्थ को निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए और उसे ऐसे किसी वित्तीय कारबार या किसी अन्य संबंध से दूर रहना चाहिए जिससे उसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने की संभावना हो या जो पक्षकारों के बीच पक्षपात या पूर्वाग्रह की युक्तियुक्त संभावना सृजित करता हो;

(iii) मध्यस्थ को किसी विधिक कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना चाहिए और उसे उसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में निपटाए जाने वाले किसी विवाद से संबंधित किसी संभाव्य विरोध से बचना चाहिए;

(iv) मध्यस्थ को नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो;

(v) मध्यस्थ भारत के संविधान, नैसर्गिक न्याय, समानता के सिद्धांतों, सामान्य तथा रूढिजन्य विधियों, वाणिज्यिक विधियों, श्रम विधियों, अपकृत्य विधियों तथा माध्यस्थम् पंचाटों को तैयार करने और उन्हें प्रवर्तित किए जाने से सुपरिचित होगा;

(vi) मध्यस्थ के पास माध्यस्थम् संबंधी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणाली की उत्तम समझ और उनके संबंध में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए;

(vii) मध्यस्थ सिविल और वाणिज्यिक विवादों में संविदाकारी बाध्यताओं के प्रमुख तत्वों को समझने में समर्थ होना चाहिए और साथ ही वह विवाद के अधीन किसी परिस्थिति में विधिक सिद्धांतों को लागू करने और माध्यस्थम् से संबंधित किसी मामले में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में भी समर्थ होना चाहिए;

(viii) मध्यस्थ, उसके समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु आने वाले किसी विवाद में एक युक्तियुक्त और प्रवर्तनीय माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में सुझाव देने, सिफारिश करने और उसे लेखबद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

15. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 का लोप किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से लोप किया गया समझा जाएगा। 2016 के अधिनियम सं॰ 3 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की चौथी अनुसूची में "[धारा 11(14) देखिए]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[धारा 11(3क) देखिए]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। चौथी अनुसूची का संशोधन।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 36)

[9 अगस्त, 2019]

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1971 का 40

2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (चक) और खंड (चख) को क्रमश: खंड (चख) और खंड (चग)के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (चख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) किसी सरकारी स्थान के संबंध में "निवास स्थान का अधिभोग" से किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी कानूनी प्राधिकरण

के प्राधिकार के अधीन बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किसी नियत अवधि के लिए या उसके पद धारण करने की किसी अवधि के लिए किसी आबंटन आदेश के आधार पर ऐसे स्थान के अधिभोग के लिए उसे दी गई अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिभोग अभिप्रेत है;'।

नई धारा 3ख का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

निवास स्थान से बेदखली।

"3ख. (1) धारा 4 या धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि संपदा अधिकारी के पास इस बात की सूचना है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे निवास स्थान अधिभोग के लिए दिया गया था, उक्त निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो वह—

(क) तत्काल एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) उस सूचना को उक्त निवास स्थान के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर और अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसकी तामील कराएगा और तब यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो गई है।

(2) संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दर्शित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह मामले की परिस्थितियों में समीचीन समझे, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाए, ऐसे व्यक्ति की बेदखली का आदेश करेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जो अप्राधिकृत अधिभोग में है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है या उसका पालन करने में असफल रहता है तो संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को निवास स्थान से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकेगा, जितना आवश्यक हो।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) यदि ऐसा व्यक्ति जो निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है धारा 3ख की उपधारा (2) के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती देता है तो वह प्रत्येक मास के लिए उसके द्वारा धारित निवास स्थान के लिए नुकसानी का संदाय करेगा।"।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 37)

[9 अगस्त, 2019]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

धारा 2 का संशोधन।

1956 का 55

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, "तीस" शब्द के स्थान पर, "तैंतीस" शब्द रखा जाएगा।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 39)

[5 दिसम्बर, 2019]

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

धारा 4 का संशोधन।

1951 का 25

2. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता;"।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित किसी न्यासी की पदावधि को पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले समाप्त किया जा सकेगा।"।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 43)

[9 दिसंबर, 2019]

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 4 का संशोधन।

1988 का 34

2. विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) (क) प्रधानमंत्री और उसके साथ उसके शासकीय निवास पर निवास करने वाले अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों की; और

(ख) किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के ऐसे सदस्यों की, जो उसके साथ उन्हें आबंटित निवास स्थान पर निवास करते हैं, उस तारीख से, जिसको वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि तक,

निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल होगा, जिसे विशेष संरक्षा ग्रुप कहा जाएगा।";

(ii) उपधारा (1क) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से निकट सुरक्षा हटा ली जाती है, वहां ऐसी निकट सुरक्षा ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों से भी हट जाएगी।"।

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 44)

[9 दिसंबर, 2019]

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र" से नियत दिन के ठीक पूर्व यथाविद्यमान दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत विद्यमान संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत है।

भाग 2

संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण।

3. नियत दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र नाम से ज्ञात नए संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया जाएगा, जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के निम्नलिखित क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव,

और तत्पश्चात् उक्त संघ राज्यक्षेत्र विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भाग नहीं रहेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 240 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) में,—

(i) प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव";

(ii) प्रविष्टि (घ) का लोप किया जाएगा।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

5. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 4 और प्रविष्टि 5 तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

नाम	विस्तार
"4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव"	वह राज्यक्षेत्र, जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं।"। 1987 का 18

भाग 3

लोक सभा में प्रतिनिधित्व

लोक सभा में स्थानों का आबंटन।

6. नियत दिन से ही, लोक सभा में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए दो स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी। 1950 का 43

आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

7. (1) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का जो नियत दिन को धारा 5 के उपबंधों के आधार पर सीमाओं में परिवर्तन के साथ या उसके बिना आबंटित किया जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, उस निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है। 1950 का 43

(2) ऐसे सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

भाग 4

उच्च न्यायालय

बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार।

8. नियत दिन से ही, बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र तक रहेगा।

भाग 5

आस्तियां और दायित्व

भूमि और माल।

9. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियत दिन के ठीक पूर्व धारित सभी भूमि और सभी सामान, वस्तुएं तथा अन्य माल उस दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि" शब्द के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार सम्मिलित हैं और "माल" शब्द के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं हैं।

नकद अतिशेष।

10. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के सभी खजानों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में नियत दिन के ठीक पूर्व कुल नकद अतिशेष का दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विलयन हो जाएगा।

कर के बकाए।

11. (1) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित किसी संपत्ति पर किसी कर या शुल्क के बकायों (जिसके अंतर्गत भू-राजस्व के बकाए भी हैं) की वसूली का अधिकार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित रहेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर या शुल्क से भिन्न, किसी कर या शुल्क के बकायों की वसूली का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

उधार और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार।

12. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किन्हीं उधारों या अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

संघ राज्यक्षेत्र उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व।

13. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के किन्हीं वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित आस्तियां और दायित्व, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

आधिक्य में वसूल किए गए करों का प्रतिदाय।

14. संघ का—

(क) संपत्ति पर आधिक्य में वसूल किए गए किसी कर या शुल्क के जिसके अंतर्गत भू-राजस्व भी है, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा;

(ख) आधिक्य में वसूल किए गए किसी अन्य कर या शुल्क के, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

भाग 6

सेवाओं के संबंध में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।

15. अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के काडर में थे, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र की उसी सेवा के काडर में बने रहेंगे, जिसमें वे नियत दिन के पूर्व आबंटित किए जाते हैं।

अन्य सेवाओं के संबंध में उपबंध।

16. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र में, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है और सेवा कर रहा है, उस दिन से ही,—

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करता रहेगा, और

(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु खंड (ख) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को, जिसको धारा 15 के उपबंध लागू होते हैं या किसी राज्य से प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति को, लागू नहीं होगी।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अवधारित करेगी कि क्या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में संघ के अधीन सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित होगा और वह तारीख, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी कर्मचारी को अंतिम रूप से आबंटित करने वाले आदेश पारित करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, ऐसे विशेष या साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए जाएं, अपने नियंत्रण के अधीन सेवाओं में उसे एकीकृत करने के उपाय करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर उचित विचार करने के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी:

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम में उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के विभाजन और एकीकरण से उद्भूत होने वाले विषयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश के प्रकाशन या तामील की तारीख से, जो भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की समाप्ति पर कोई अभ्यावेदन नहीं होगा:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी मामले पर पुन: विचार कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो उसे समुचित प्रतीत हों, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रभावित कर्मचारी के संबंध में घोर अन्याय का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले को नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यकलाप के संबंध में उपधारा (2) के अधीन आबंटित किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवा, उसकी सेवा की शर्तों की बाबत नियमो के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के जिसको वह अंतिम रूप से आबंटित किया गया है, कार्यकलापों के संबंध में की गई समझी जाएगी।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न इस धारा के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे धारा 16 के उपबंध लागू होते हो, लागू नहीं होंगे।

भाग 7

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

विधियों का विस्तार।

17. नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में विस्तारित या प्रवृत्त सभी विधियां, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में, जहां वे ऐसी नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त थी, प्रवृत्त रहेंगी।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

18. धारा 17 द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसको लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उसके सार पर प्रभाव न डालती हो और जो ऐसे न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी विषय के संबंध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

19. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी विधि के लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हो और तब ऐसी प्रत्येक विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

विधिक कार्यवाहियां।

20. जहां, इस अधिनियम के अधीन दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को नियत दिन के ठीक पहले अंतरित किसी संपत्ति, अधिकारों या दायित्वों के संबंध में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार है तो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा या उसमें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और तद्नुसार कार्यवाहियां जारी रह सकेंगी।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

21. (1) नियत दिन से ठीक पहले किसी क्षेत्र में, जो उस दिन को विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर आता है, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) इस धारा में—

(क) "कार्यवाही" में वाद, मामले या अपील सम्मिलित हैं; और

(ख) "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई होती, यदि नियत दिन के पश्चात् कार्यवाहियां संस्थित की जाती, या

(ii) संदेह की दशा में, नियत दिन के पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा या नियत दिन से पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जो अवधारित किए जाएं, तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है।

अन्य विधियों से असंगत उपबंधों का प्रभावी होना।

22. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 48)

[13 दिसम्बर, 2019]

आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1959 का 54

2. आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है;'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

(i) "तीन अग्न्यायुधों" शब्दों के स्थान पर, "दो अग्न्यायुध" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर दो से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई दो प्रतिधारित कर सकेगा और शेष

अग्न्यायुध को ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगा, जिसके पश्चात् पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय, दो अग्न्यायुध की सीमा को पार नहीं किया जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''विनिर्माण करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, ''किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात् ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपविर्तित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''अग्न्यायुध'' शब्द के स्थान पर, ''अग्न्यायुध या गोलाबारूद'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में,''प्वांइट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल'' शब्दों के स्थान पर, ''अग्न्यायुध'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में,—

(क) ''तीन वर्ष की कालावधि'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष की कालावधि'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि धारा 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को उस तारीख से, जिसको यह अनुदत्त या नवीकृत की जाए, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के समझ अग्न्यायुध या गोलाबारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा।''।

धारा 25 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, ''विनिर्माण'' शब्द के स्थान पर, ''विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, ''नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात्, ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित'' शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे;

(ग) दीर्घ पंक्ति में ''जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी; किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1 क) में,—

(क) ''जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक ही हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा।";

(iii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1कख) जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।";

(iv) उपधारा (1कक) में, "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (1ख) में,—

(क) दीर्घ पंक्ति में, "एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(vi)उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(6) यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(7) जो कोई, किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से,—

(i) धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण करता है, अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है या अंतरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्थापित करता है; या

(ii) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्न्यायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है; या

(iii) धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या विवरण के किसी भी आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाता है या भारत से बाहर ले जाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से, किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का प्रयोग करके, धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(ख) "संगठित अपराध संघ" से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं।

(8) जो कोई धारा (3), धारा (5), धारा (6), धारा (7) और धारा (11) के उल्लंघन में अग्न्यायुध और गोलाबारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है या उसमें सहायता करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अवैध व्यापार" से भारत के राज्यक्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्न्यायुध या गोलाबारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि अग्न्यायुध या गोलाबारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित नहीं हैं या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए, विदेश में बने अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोलाबारूद भी हैं।

(9) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करता है जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुष्ठानिक गोलाबारी" से जन सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्न्यायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है।'।

धारा 27 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में, "मृत्युदंड से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 44 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (च) में,—

(क) "वह रीति, जिससे" शब्दों के स्थान पर, "वह रीति, जिसमें अग्न्यायुध या गोलाबारूद को खोज निकालने के लिए उनके" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खोज निकालने" से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक, अग्न्यायुध और गोलाबारूद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है;'।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 4)

[19 मार्च, 2020]

कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

संआ 22

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6— कर्नाटक में,—

(क) प्रविष्टि 38 में, "नायकडा, नायक" शब्दों के स्थान पर, "नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवारा और तलवारा भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि 50 में, "(उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

डा॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—1340GI—11-08-2021.